

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 06 सितंबर, 2013

रि.या.(सि.) 5539/2013

जयपाल सिंह एवं अन्य

.....याचीगण

द्वारा: श्री अंकुर छिब्बर, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री नीरज चौधरी, भारत संघ की
ओर से के.स.स्था.अधि.

रि.या.(सि.) 4258/2013

गजराज सिंह व अन्य

.....याचीगण

द्वारा: श्री अंकुर छिब्बर, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री योगीश योगी, श्री जोगिंदर
सुखीजा की ओर से अधिवक्ता, प्र.-
1 से प्र.-4 की ओर से अधिवक्ता

रि.या.(सि.) 5059/2013

राज कंवर व अन्य

....याचीगण

द्वारा: श्री अंकुर छिब्बर, अधिवक्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री जतन सिंह, के.स.स्था.अधि. एवं
श्री. एस.कुरैशी, भारत संग की ओर
से अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल

माननीय न्यायमूर्ति श्री वी. कामेश्वर राव

न्या.,गीता मित्तल, (मौखिक)

रि.या. (सि.) 4258/2013

यह ध्यान देने योग्य है कि किसी त्रुटि के माध्यम से दिनांक 9 जुलाई, 2013 एवं दिनांक 3 सितंबर, 2013 को अधिवक्तागण की उपस्थिति को त्रुटिपूर्वक दर्ज कर दिया गया है। इस मामले में याचीगण की ओर से अधिवक्ता

श्री अंकुर छिब्बर, तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से श्री जोगिंदर सुखीजा उपस्थित हुये।

दिनांक 9 जुलाई, 2013 एवं दिनांक 3 सितम्बर, 2013 को अधिवक्तागण की उपस्थिति को सही माना जाएगा।

रि.या.(सि.) 5539/2013, रि.या.(सि.) 4258/2013 एवं रि.या.(सि.) 5059/2013

1. इन मामलों में याचीगण दिनांक 28 मई, 2013 एवं दिनांक 3 जुलाई, 2013 के आदेश (सिग्नल) को अपास्त करने की मांग करते हैं, जिसके तहत प्रत्यर्थीगण ने याचीगण को एसीपी योजना के तहत लाभ देने से इस आधार पर इनकार कर दिया है कि अगर उन्होंने 24 साल की सेवा पूरी करने के बाद एसयूओसीसी पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण किया है तो वे एसीपी योजना के तहत दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होंगे, न कि 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने से पात्र होंगे। याचीगण ने प्रत्यर्थीगण को निर्देश देने की भी मांग की है कि वे याचीगण को 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर एसीपी योजना के तहत प्रदान किए गए दूसरे वित्तीय उन्नयन प्रदान करें।

2. रिट याचिकाओं के न्यायनिर्णयन के लिए आवश्यक तत्काल मामले में निर्विवाद तथ्यों पर यहां गौर किया गया है। एसीपी योजना के अनुसार, दूसरे वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र होने के लिए, किसी कर्मचारी को पिछले 12 वर्षों

में बिना किसी पदोन्नति के किसी पद पर अपनी नियुक्ति की तिथि से 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करनी होगी तथा उसे पदोन्नति-पूर्व कैडर पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।

3. माना कि सभी याचीगण ने पिछले 12 वर्षों में बिना किसी पदोन्नति के अपनी 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली थी। हालांकि, प्रत्यर्थीगण ने याचीगण को इस आधार पर दूसरा वित्तीय उन्नयन प्रदान नहीं किया कि एसीपी योजना के तहत एक व्यक्ति को सामान्य पदोन्नति हेतु आवश्यक सभी मानदंडों को पूरा करना ज़रूरी है एवं जब तक उन्हें पूरा नहीं किया जाता है, तब तक उक्त वित्तीय लाभ व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान मामलों में, प्रत्यर्थीगण ने यह अभिवचन दिया कि याचीगण ने 24 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद प्री-प्रमोशनल कैडर पाठ्यक्रम नहीं किया है तथा इस प्रकार, उन्हें दूसरा वित्तीय लाभ नहीं दिया जा सकता है। यह उल्लेख करना उचित है कि उक्त प्री-प्रमोशनल कैडर पाठ्यक्रम याचीगण द्वारा उनकी किसी त्रुटि के बिना नहीं किया जा सकता था, बल्कि इस कारण से किया जा सकता था कि प्रत्यर्थीगण ने अपनी त्रुटियों के कारण याचीगण को उक्त प्री-प्रमोशनल पाठ्यक्रम करने के लिए विस्तृत जानकारी नहीं दी थी।

4. प्रत्यर्थीगण के अवैध कृत्यों से व्यथित याचीगण ने प्रत्यर्थीगण के समक्ष विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। प्रत्यर्थीगण ने व्यथित व्यक्तियों के उपरोक्त अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा उक्त मुद्दे का विश्लेषण करने के पश्चात्, के.रि.पु.बल के महानिदेशालय के कार्यालय द्वारा दिनांक 6 मार्च, 2012 को एक आदेश पारित किया, जो इस प्रकार है:

“विषय: एसीपी/एमएसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण।

कांस्टेबलों को एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान करने और उसके बाद वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए गृह मंत्रालय को एक मामला भेजा गया था। इस मुद्दे की जांच गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा व्यय विभाग (एमओएफ) द्वारा की गई। उचित जांच के बाद मंत्रालयों ने स्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट किया है:

क) जिन कान्सटेबल ने पदोन्नति पाठ्यक्रम (अर्थात् एससीसी) उत्तीर्ण कर लिया है एवं उन्हें एससीसी की समाप्ति की अगली तिथि से प्रथम एसीपी लाभ दिया गया है, उनके मामले का पुनर्विलोकन किया जा सकता है एवं उन्हें अब एसीपी तथा एमएसीपी योजनाओं के अंतर्गत निम्नानुसार वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जा सकता है:

क्र.सं.	कान्सटेबल की श्रेणियाँ	एसीपी/एमएसीपी योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन लाभ प्रदान करने की पद्धति
1)	वे कान्सटेबल जिन्होंने अधिकतम स्वीकार्य तीन अवसरों के भीतर प्रमोशनल कोर्स उत्तीर्ण कर लिया हो।	चूंकि इन कान्सटेबलों को 12 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नति पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था, इसलिए उन्हें अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन 12 वर्ष की सेवा पूरी होने की तिथि से एसीपी योजना (अगस्त 1999) के तहत पहला वित्तीय उन्नयन दिया जा सकता है, क्योंकि पदोन्नति पाठ्यक्रम पर देरी से शामिल होने के लिए उनकी ओर से कोई त्रुटि नहीं है। एमएसीपी के तहत वित्तीय उन्नयन ऐसे कान्सटेबल को स्वीकार्य होगा, जहां भी वे 20/30 वर्ष की निरंतर नियमित सेवा पूरी करते हैं या उसी ग्रेड पे में लगातार

		10 वर्ष बिताते हैं, जो भी पहले हो।
--	--	------------------------------------

5. गृह मंत्रालय के परामर्श से महानिदेशालय कार्यालय द्वारा जारी उक्त स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 1.2.2003 को एक आदेश पारित किया, जिसके तहत याचीगण को उनकी नियुक्ति की तिथि से 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से दूसरा वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया। उक्त आदेशानुसार, प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 2 मई, 2013 को एक आदेश भी जारी किया था, जिसमें द्वितीय वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने के बाद याचीगण को वेतन का वास्तविक निर्धारण दिखाया गया था।

6. महानिदेशालय कार्यालय के साथ-साथ गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने के बाद उपरोक्त आदेश जारी करने के बावजूद, प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 28 मई, 2013 एवं दिनांक 3 जुलाई, 2013 को आक्षेपित आदेश (सिग्नल) जारी किए, जिसके द्वारा यह सूचित किया गया कि एक हेड कांस्टेबल/जीडी जो 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने से पहले एसयूओसीसी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करता है, वह 24 साल की नियमित सेवा पूर्ण करने की तिथि से वित्तीय उन्नयन हेतु पात्र होगा। हालाँकि, अगर उसने 24 साल की नियमित

सेवा पूरी करने के बाद एसयूओसीसी उत्तीर्ण किया है, तो वह अन्य शर्तों के अनुसार उक्त प्रमोशनल पाठ्यक्रम की तिथि से वित्तीय उन्नयन हेतु पात्र है।

7. विद्वान अधिवक्ता ने इस बात पर भी जोर दिया है कि दिनांक 6 मार्च, 2012 के आदेशानुसार, प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 1 फरवरी, 2013 के अपने आदेशानुसार याचीगण को उक्त दूसरा वित्तीय उन्नयन प्रदान किया था एवं दिनांक 2 मई, 2013 के आदेशानुसार उनका वेतन भी निर्धारित किया था। कथित लाभ देने के पश्चात्, प्रत्यर्थीगण कारण बताओ सूचना जारी किए बिना या याचीगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना उक्त लाभ वापस नहीं ले सकते हैं।

8. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा जारी किए गए आरोपित आदेश (सिग्नल) महानिदेशालय कार्यालय द्वारा गृह मंत्रालय के परामर्श से दिनांक 6 मार्च, 2012 को जारी किए गए पत्र के सीधे विरोधाभास में हैं, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया है कि चूंकि इन कांस्टेबलों (का.) को 12 वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने के बाद पदोन्नति पाठ्यक्रम पर भेजा गया था, इसलिए उन्हें अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन 12 वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि से एसीपी योजना (अगस्त 1999) के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन की अनुमति दी जा सकती है,

क्योंकि पदोन्नति पाठ्यक्रम पर देरी से भेजे जाने के लिए उनकी ओर से कोई त्रुटि नहीं है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि एक बार प्रत्यर्थीगण ने प्रथम वित्तीय उन्नयन के अनुदान हेतु उक्त निर्णय ले लिया है, तो दूसरे वित्तीय उन्नयन के अनुदान हेतु कोई अलग पैमाना नहीं हो सकता है।

9. यह भी प्रस्तुत गया है कि प्रत्यर्थीगण को अपनी त्रुटि का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि याचीगण की 24 वर्ष की सेवा पूरी होने से पूर्व प्री-प्रमोशनल कैडर पाठ्यक्रम पूरा न करने का कारण यह है कि प्रत्यर्थीगण ने याचीगण को उक्त पाठ्यक्रम के लिए विस्तृत जानकारी नहीं दी थी। ऐसा न करने पर, प्रत्यर्थीगण को केवल इस आधार पर लाभ रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि याचीगण ने प्री-प्रमोशनल कैडर पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है, जिसके वे अन्यथा 24 वर्ष की सेवा पूरी करने पर हकदार थे।

10. अपनी अभिवचनों के समर्थन में याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने रि.या.(सि.) सं. 6937/2010 **हरगोविंद सिंह बनाम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल** में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के दिनांक 15 फरवरी, 2011 के आदेश की घोषणा पर भरोसा किया है। इस मामले में याचिकाकर्ता दिनांक 3 नवंबर, 1999 से एसीपी योजना के तहत अपने दूसरे वित्तीय उन्नयन की बहाली तथा

दिनांक 1 सितंबर, 2008 से तीसरे वित्तीय उन्नयन की मंजूरी की भी मांग कर रहा था। यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 3 नवंबर, 1999 को एसीपी योजना के तहत दूसरा उन्नयन दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना इसे वापस ले लिया गया, जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका में दावा किया गया। प्रत्यर्पण का रुख निर्णय के पैरा सं. 5 एवं 6 में नोट किया गया है जो इस प्रकार था:

'5. निर्विवाद स्थिति यह है कि याचिकाकर्ता को एसीपी योजना के अंतर्गत द्वितीय उन्नयन का लाभ दिनांक 3.11.1999 से प्रदान किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को नोटिस दिए बिना ही इसे वापस ले लिया गया; एवं इस प्रकार, रिट याचिका में दावा निरस्त कर दिया गया था।

6. दायर प्रति शपथपत्र के अनुसार, याचिकाकर्ता को दिनांक 3.11.1999 को द्वितीय एसीपी उन्नयन लाभ इस तथ्य की अनदेखी करते हुए प्रदान किया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा अनिवार्य पदोन्नति पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक नहीं किया गया था तथा जब यह बात पता चली तो याचिकाकर्ता को दिनांक 15.11.2009 से शुरू होने वाले पदोन्नति पाठ्यक्रम में शामिल होना आवश्यक था, जिसके लिए उसने दिनांक 29.10.2004 को पाठ्यक्रम में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की।

11. हमारे सामने यही तर्क दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता **हरगोविंद सिंह** को भी उस तिथि पर पीसीसी कोर्स करने का अवसर नहीं मिला, जिस तिथि पर वह आगे वितीय उन्नयन हेतु पात्र हुआ था, जिसे वापस ले लिया गया था। **हरगोविंद सिंह** (पूर्वोक्त) में इस पहलू पर न्यायालय ने हमारे सामने प्रत्यर्थीगण के प्रतिविरोध पर भी निर्णय सुनाया है, एवं पदोन्नति पाठ्यक्रम करने हेतु व्यक्ति का विवरण देने के लिए विभाग की जिम्मेदारी पर टिप्पणी की है। इस संबंध में निर्णय के पैरा 8 से 14 में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया जा रहा है, जो इस प्रकार है:

"8. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता आग्रह करेंगे कि रि.या.(सि.) सं. 8631/2009 भगवान सिंह बनाम भारत संघ व अन्य के निपटान वाले दिनांक 30.9.2010 के निर्णय एवं आदेशानुसार वर्तमान मुद्दा पूरी तरह से याचिकाकर्ता के विरुद्ध है।

9. भगवान सिंह मामले (पूर्वोक्त) में निर्णय के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता हेड कांस्टेबल के रूप में काम कर रहा था एवं उसे एसीपी योजना के तहत दूसरे स्तर पर पदोन्नति से इस आधार पर वंचित कर दिया गया था कि उसने जानबूझकर अनिवार्य पदोन्नति पाठ्यक्रम करने से इनकार कर दिया था, जो उसे सहायक उप-निरीक्षक के रूप में पदोन्नत होने

के योग्य बनाता एवं उसने लिखित रूप में कहा था कि वह पदोन्नत होने के अधिकार का त्याग करता है।

10. खण्ड न्यायपीठ ने एसीपी योजना के पैराग्राफ 10 पर गौर किया जो इस प्रकार है:

10. एसीपी योजना के अंतर्गत उच्चतर वेतनमान प्रदान करना इस तथ्य की शर्त पर होगा कि कर्मचारी, उक्त लाभ स्वीकार करते समय, बाद में रिक्ति होने पर नियमित पदोन्नति के लिए अपनी बिना शर्त स्वीकृति दे चुका माना जाएगा। बाद में नियमित पदोन्नति में, वह इस संबंध में सामान्य निर्देशों में निर्धारित नियमित पदोन्नति के लिए सामान्य निषेध के अधीन होगा। हालाँकि, जब भी वह उसके बाद नियमित पदोन्नति स्वीकार करता है, तो वह एसीपी योजना के तहत दूसरे उन्नयन हेतु तभी पात्र होगा जब वह उस उच्चतर ग्रेड में एसीपी योजना के तहत अपेक्षित पात्रता सेवा/अवधि पूरी कर लेगा, इस शर्त के अधीन कि जिस अवधि हेतु उसे नियमित पदोन्नति के लिए वंचित किया गया था, उसे इस उद्देश्य के लिए नहीं गिना जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को 12 वर्ष की नियमित सेवा प्रदान करने के बाद एक वित्तीय उन्नयन मिला है तथा उसके दो वर्ष बाद यदि वह नियमित पदोन्नति से इनकार कर देता है और परिणामस्वरूप उसे एक वर्ष के लिए रोक दिया जाता है तथा तत्पश्चात् उसे 15 वर्ष (12+12+1) की नियमित सेवा पूरी करने के पश्चात् नियमित आधार पर उच्चतर ग्रेड में

पदोन्नत किया जाता है, तो वह एसीपी योजना के अंतर्गत दूसरे उन्नयन हेतु तभी विचार किए जाने का पात्र होगा, जब उसने उच्चतर ग्रेड में प्रथम वित्तीय उन्नयन (2+10) के पश्चात दो वर्ष की सेवा के अतिरिक्त दस वर्ष और पूरे कर लिए हों, अर्थात् 25 वर्ष (12+2+1+10) की नियमित सेवा के पश्चात, क्योंकि एक वर्ष की रोक अवधि को उस उच्चतर ग्रेड में अपेक्षित 12 वर्ष की नियमित सेवा के लिए नहीं माना जा सकता है।

11. वर्तमान मामले में, ऊपर उल्लेखित तथ्यों से पता चलता है कि प्रत्यर्थीगण ने याचिकाकर्ता को दिनांक 15.11.2004 से शुरू होने वाले अनिवार्य पीसीसी कोर्स के लिए विस्तृत रूप से पेश करने की पेशकश की थी। हम याचिकाकर्ता द्वारा उक्त कोर्स में शामिल न होने के प्रभाव से निपटेंगे, लेकिन यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि याचिकाकर्ता की एसीपी लाभ की पात्रता नवंबर 1999 के महीने से प्रभावी है तथा प्रत्यर्थीगण का मामला यह नहीं है कि जब तक उन्होंने याचिकाकर्ता को दिनांक 15.11.2004 से शुरू होने वाले पीसीसी कोर्स को पास करने का मौका नहीं दिया, तब तक याचिकाकर्ता को कोर्स में शामिल होने का कोई भी पूर्व अवसर नहीं दिया गया।

12. यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि विभाग को पदोन्नति संवर्ग पाठ्यक्रम करने हेतु व्यक्तियों की सूची बनानी होती है तथा उक्त पाठ्यक्रम में भाग लेना संबंधित अधिकारियों के विकल्प पर निर्भर नहीं है।

13. यदि ऐसा है, तो प्रत्यर्थी अपने दायित्व का निर्वहन न करने का लाभ नहीं उठा सकते हैं, जो पदधारी के पदोन्नति कैंडर पाठ्यक्रम को पास करने के दायित्व से पहले है। विभाग का पूर्व दायित्व संबंधित व्यक्ति को पदोन्नति कैंडर पाठ्यक्रम करने के लिए विस्तृत जानकारी देना है।

14. जहां तक याचिकाकर्ता की दिनांक 15.11.2004 से शुरू होने वाले प्रमोशन कैंडर पाठ्यक्रम में शामिल होने की इच्छा का प्रश्न है, यह ध्यान देने योग्य है कि "अनिच्छुक" शब्द का प्रयोग गलत होगा। जो हुआ वह यह है कि याचिकाकर्ता को यह सूचित किए जाने से पहले कि उसे दिनांक 15.11.2004 से शुरू होने वाले प्रमोशन कैंडर पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए नियुक्त किया जाएगा, याचिकाकर्ता की पत्नी की अत्यधिक खराब चिकित्सा स्थिति के कारण उसे अपने पैतृक गांव जाने के लिए छुट्टी दे दी गई थी।

12. हमारे समक्ष यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता नियमित सेवा के 24 वर्ष पूरे होने पर वित्तीय उन्नयन के लिए पात्र हो गए एवं दिनांक 6 मार्च, 2012 के स्पष्टीकरण के अनुसार, याचीगण को वास्तव में दिनांक 1 फरवरी, 2013 तथा दिनांक 2 मई, 2013 के आदेश के माध्यम से उक्त लाभ प्रदान किया गया था। जहाँ तक उन्हें एसयूओसीसी पाठ्यक्रम पूरा करने का अवसर दिए जाने का संबंध है, उन्हें 24 साल की नियमित सेवा पूरी करने के

बाद उक्त पाठ्यक्रम के लिए विस्तृत किया गया है तथा उन सभी ने इसे सफलतापूर्वक पूर्ण किया है।

13. निस्संदेह **हरगोविंद सिंह** (पूर्वोक्त) में दर्ज कारणों से याचिकाकर्ता को इस अवधि के लिए वित्तीय उन्नयन से वंचित नहीं किया जा सकता था। प्रत्यर्थीगण द्वारा एसीपी योजना के कार्यान्वयन से यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति पदोन्नति के अवसर के बिना आवश्यक बारह वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि से वित्तीय लाभ का हकदार है। प्रत्यर्थीगण ने **हरगोविंद सिंह** (पूर्वोक्त) के साथ-साथ वर्तमान मामले में भी इस योजना पर काम किया है। पदोन्नति कैडर पाठ्यक्रम पूरा करना नियुक्ति/पदोन्नति पर अपेक्षित प्रशिक्षण पूरा करने के समान है। इससे नियुक्ति की तिथि या उसकी पदोन्नति की तिथि में कोई बदलाव नहीं होता है।

14. **हरगोविंद सिंह** (पूर्वोक्त) में खंड न्यायपीठ की टिप्पणियां वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुरूप हैं। मई 2003 के बाद, वर्तमान याचिकाकर्ता को जुलाई 2004 में ही पीसीसी करने के लिए नियुक्त किया गया था। यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सफलतापूर्वक पीसीसी किया जो दिनांक 5 जुलाई, 2004 से दिनांक 21 अगस्त,

2004 के बीच आयोजित किया गया था। इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता को आज तक उसके उचित बकाये से वंचित नहीं किया जा सकता है।

15. प्रत्यर्थी कई वर्षों तक एसयूओसीसी पाठ्यक्रम करने के हकदार व्यक्ति को तब तक रोके रखते हैं जब तक कि कर्मचारी को उक्त पाठ्यक्रम करने का अवसर नहीं दिया जाता, भले ही वह ऐसा करने के लिए इच्छुक और सक्षम हो। उन्हें उक्त पाठ्यक्रम करने की अनुमति न देकर प्रत्यर्थीगण को एसीपी योजना के तहत याचिकाकर्ता को दूसरे वित्तीय उन्नयन का लाभ छीनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

16. बेशक, यह प्रत्यर्थीगण की जिम्मेदारी है कि वे व्यक्ति को प्री-प्रमोशनल कैंडर पाठ्यक्रम हेतु विस्तृत जानकारी दें। ऐसा न करने पर प्रत्यर्थीगण को अपनी गलतियों के लिए किसी व्यक्ति को मिलने वाले लाभों को रोकने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

17. उक्त मुद्दे पर इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा भी निर्णय दिया गया है जो इस प्रकार हैं - *आर.एस. राठौर बनाम भारत संघ व अन्य* रि.या.(सि.) 1506/2012, *तुलसी दास बनाम भारत संघ व अन्य* रि.या.(सि.) 1881/2012 व अन्य।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:-

(i) दिनांक 28 मई, 2013 तथा दिनांक 3 जुलाई, 2013 के आदेशों (सिग्नलों) को अपास्त करने के लिए एक उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है।

(ii) प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे याचीगण को 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से दूसरा वित्तीय उन्नयन प्रदान करें।

(iii) प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर याचीगण का वेतन तथा उन याचीगण की पेंशन तय करें जो दूसरे वित्तीय उन्नयन के अनुदान के अनुसार सेवानिवृत्त हो सकते हैं। प्रत्यर्थीगण द्वारा पारित आदेश याचीगण को सूचित किया जाएगा। इस आदेशानुसार बकाया राशि उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर याचीगण को जारी की जाएगी।

19. इन रिट याचिकाओं को उपरोक्त शर्तों के तहत अनुमति दी जाती है।

न्या. गीता मित्तल,

न्या. वी. कामेश्वर राव,

06 सितंबर, 2013

एमएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।